जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 19-07-2021**

आज दिनांक 19.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

चोरी के 03 कुंतल गेंहू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री मनोज कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** नवीन गल्ला मण्डी नीलामी चबूतरा नं0 01 से अभियुक्त अमित कुमार त्रिपाठी पुत्र अरुण कुमार त्रिपाठी निवासी तेनुहारी अव्वल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को भारतीय खाद्य निगम की चोरी गए 06 बोरियों में 03 कुंतल (प्रति बोरी 50 किलोग्राम) मय चोरी करने में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरो वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 490/ 2021 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

अमित कुमार त्रिपाठी पुत्र अरुण कुमार त्रिपाठी निवासी तेनुहारी अव्वल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

1-06 बोरियों में 03 कुंतल (प्रति बोरी 50 किलोग्राम) ।

2- चोरी करने में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरो वाहन (रजि0नं0 यू0पी0 58 टी 0433)।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का नाम-

उ0नि0 श्री रमजान अली , का0 निलेश शुक्ला, का0 अंगद कुमार गुप्ता।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता मुन्ना बंजारा पुत्र मुंशी निवासी जमुहट थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 210/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव मय हमराह।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता पवन कुमार पुत्र शिवानन्द निषाद निवासी घोरहट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 209 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुनील कुमार सिंह, का0 अजय कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
  - ➢ **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1489 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत महुआपार से इवेन्ट संख्या 0487 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 04 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 अरविन्द गुप्ता, आ0 हरिकेश गुप्ता, हो0चा0 राकेश गुप्ता।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनो से 70000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनो से 70000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।